Regarding grievances of teachers rendered jobless due to closure of schools set up under National Child Labour Project-laid

श्री चुन्नीलाल साहू **(**महासमुन्द**):** श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के निर्देशन पर राज्य सरकारों द्वारा राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना के तहत खतरनाक व्यवसाय या अन्य कार्यों में कार्यरत 06 से 08 वर्ष के आयु वाले बच्चों को चिन्हांकित करते हुए उनको औपचारिक शालाओं में प्रवेश देकर पढाया गया । उसी प्रकार 09 से 14 वर्ष के आयु वाले बच्चों को राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना के तहत संचालित विशेष प्रशिक्षण केन्द्रों द्वारा औपचारिक शिक्षा प्रणाली से पढ़ाया गया । अब उक्त प्रशिक्षण केन्द्रों को अनेकों राज्यों मे बंद किए जाने से उक्त कार्य में संलग्न (कार्यरत) हजारों मानदेय कर्मियों को आजीविका हेतु बेरोजगारी का सामना करना पढ रहा है । चूंकि मानदेय कर्मियों द्वारा 10 से 20 वर्ष सेवा दी गई और उम्र 40 से 45 वर्ष हो जाने से अन्य शासकीय कार्यों में आवेदन हेतु पात्र भी नहीं है । अत: उक्त मानदेय कर्मियों के आजीविका के लिए उक्त पदों की बहाली अथवा रोजगार प्रदाय करने हेतु राज्य सरकारों को निर्देशित करने की कृपा की जाए ।